

संचिका संख्या— प्र03/स्था0(आ0से0)—07/2024

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

दिनांक :

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत आपूर्ति निरीक्षकों (लेवल-7, सातवाँ वेतनमान) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित तिथि से स्थायी रूप से सम्पुष्ट किया जाता है:—

क्र0 सं0	कर्मि का नाम/ पदनाम/ वर्तमान पदस्थापन	गृह जिला	जन्म तिथि	आपूर्ति निरीक्षक के पद पर योगदान की तिथि	विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि	सेवा सम्पुष्टि की देय तिथि
1	2	3	4	5	6	7
01	सुश्री/श्रीमती सिद्धिदात्री कुमारी, आपूर्ति निरीक्षक, अरेराज, पूर्वी चम्पारण	सीतामढ़ी	15.11.1990	15.12.2022	09.04.2023	19.06.2024
02	श्री रवि शंकर कुमार, आपूर्ति निरीक्षक, कलुआही, मधुबनी	सुपौल	22.01.1992	08.10.2021	18.09.2024	18.09.2024

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि:—

01. प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत एवं दरभंगा/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण एवं मधुबनी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण एवं मधुबनी/अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज एवं मधुबनी तथा संबंधित आपूर्ति निरीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा अपने जिला/अनुमंडल में पदस्थापित आपूर्ति निरीक्षकों के योगदान की तिथि की सम्पुष्टि उनके सेवापुस्त से मिलान करने के पश्चात् सम्पुष्टिकरण की प्रविष्टि उनकी सेवापुस्त में की जाए। यदि नाम एवं योगदान की तिथि में कोई भिन्नता हो तो शुद्धिकरण के लिए अपनी अनुशंसा विभाग को सेवापुस्त सहित भेजने की कृपा की जाए।

02. प्रधान सचिव कोषांग/विशेष सचिव कोषांग एवं आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।